भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2417

(जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2025/13 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है।)

"जीएसटी संग्रह और चोरी"

2417. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान जीएसटी संग्रह संबंधी वार्षिक लक्ष्य क्या रहे हैं और वास्तविक संग्रह इन लक्ष्यों की तुलना में किस प्रकार रहा है;
(ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान जीएसटी अपवंचन के कुल कितने मामले पकड़े गए और उनसे वसूले गए करों का संबंधित मूल्य क्या है;
(ग) सरकार प्रणालीगत कमियों की पहचान करने, अनुपालन में सुधार लाने और बार-बार होने वाले कर अपवंचन को रोकने में ई-इनवॉइसिंग और जीएसटीएन एनालिटिक्स जैसे उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किस प्रकार करती है; और
(घ) राजस्व संग्रह और प्रणाली में कमियों को दूर करने पर इन उपायों का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान बजट/संशोधित अनुमानों की तुलना में निवल केन्द्रीय जीएसटी के सापेक्ष वास्तविक राजस्व संग्रह निम्नानुसार है:

निवल केंद्रीय जीएसटी संग्रह

(सीजीएसटी + आईजीएसटी (शेष) + जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर)

राशि करोड़ रुपये में

वित्तीय वर्ष	**बजट अनुमान (बीई))**	**संशोधित अनुमान (आरई)**	**वास्तविक संग्रह**	**प्राप्त बजट अनुमान (बीई) का प्रतिशत**	**प्राप्त संशोधित अनुमान (आरई) का प्रतिशत**
2020-21	6,90,500	5,15,100	5,48,777	79.5%	106.5%
2021-22	6,30,000	6,75,000	6,98,114	110.8%	103.4%

2022-23	7,80,000	8,54,000	8,49,132	108.9%	99.4%
2023-24	9,56,600	9,56,600	9,57,208	100.1%	100.1%
2024-25 [पी]	10,61,899	10,61,899	10,26,490	96.7%	96.7%

स्रोत: संबंधित वर्षों का प्राप्ति बजट; वित्त वर्ष 2024-25 का वास्तविक संग्रह प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (सीबीआईसी) से लिया गया है; [पी] = अनंतिम;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के कार्यालयों द्वारा पता लगाए गए जीएसटी अपवंचन के मामलों की कुल संख्या और वसूले गए करों का संबंधित मूल्य इस प्रकार है:

कुल जीएसटी अपवंचन मामले			
अवधि	**मामलों की संख्या**	**पता लगाना (करोड़ रुपये में)**	**स्वैच्छिक जमा (करोड़ रुपये में)**
2020-21	12,596	49,384	12,235
2021-22	12,574	73,238	25,157
2022-23	15,562	1,31,613	33,226
2023-24	20,582	2,30,332	31,758
2024-25	30,056	2,23,375	26,799
कुल	**91,370**	**7,07,942**	**1,29,175**

आईटीसी धोखाधड़ी के कुल मामलों की संख्या			
अवधि	**मामलों की संख्या**	**पता लगाना (करोड़ रुपये में)**	**स्वैच्छिक जमा (करोड़ रुपये में)**
2020-21	7,268	31,233	2,232
2021-22	5,966	28,022	2,027
2022-23	7,231	24,140	2,484
2023-24	9,190	36,374	3,413
2024-25	15,283	58,772	2,675
कुल	**44,938**	**1,78,541**	**12,831**

स्रोत: जीएसटी जांच प्रकोष्ठ;

नोट: कुल जीएसटी अपवंचन के आंकड़ों में आईटीसी धोखाधड़ी के मामले शामिल हैं

(ग) और (घ) अनुपालन में सुधार लाने और कर अपवंचन को रोकने में मदद करने के लिए केन्द्र सरकार और जीएसटी द्वारा विभिन्न कदम/उपाय उठाए गए हैं, जैसे ई-इनवॉयसिंग के माध्यम से डिजिटलीकरण, करदाता के अनुपालन विशेषताओं के आधार पर स्वचालित जोखिम मूल्यांकन जैसे जीएसटीएन विश्लेषिकी, सिस्टम-फ्लैग किए गए बेमेल के आधार पर आउटलेर्स को उजागर करना, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से जीएसटी राजस्व जोखिमों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से कार्रवाई योग्य आसूचना प्रदान करना, करदाता व्यवहार में विसंगतियों की पहचान के आधार पर जीएसटी गैर-अनुपालन या अपवंचन के बारे में इनपुट उत्पन्न करना (जैसे संभावित कर अपवंचन, धोखाधड़ी

पंजीकरण और संदिग्ध ई-वे बिल गतिविधि आदि) और जांच के लिए रिटर्न का चयन और विभिन्न जोखिम मापदंडों के आधार पर लेखा-परीक्ष के लिए करदाताओं का चयन करना। ये उपाय राजस्व की सुरक्षा और कर अपवंचन करने वालों को पकड़ने में मददगार हैं। "प्रोजेक्ट अन्वेषण" (विश्लेषिकी, सत्यापन, विसंगतियों की सूची बनाना) जैसी कुछ परियोजनाएँ भी शुरू की गईं, जिनके द्वारा नकली/धोखाधड़ी की प्रवृत्ति वाले जीएसटीआईएन की शीघ्र पहचान करने और आसूचना रिपोर्ट तैयार करने के लिए चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस), ई-वे बिल डेटा आदि जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया।

यद्यपि उपरोक्त उपाय राजस्व संग्रहण में योगदान करते हैं, किन्तु प्रणालीगत कमियों की पहचान करने, अनुपालन में सुधार लाने तथा बार-बार होने वाले कर अपवंचन को रोकने में ऐसे उपायों का प्रभाव पता नहीं लगाया जा सकता है।

राजस्व वृद्धि और कर अपवंचन की घटनाओं में कमी जैसे परिणामों को सभी या किसी एक उपाय के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक स्थिति, देश में आर्थिक विकास, वस्तुओं और सेवाओं की घरेलू खपत का स्तर, कर की दर आदि जैसे कई अन्य कारक भी इसके लिए प्रासंगिक हैं।

*****